

समाहरणालय, पटना।  
(सामाजिक सुरक्षा कोषांग)

फोन न० 0612-2219030(का०)  
E-mail - adsspatna@gmail.com  
dm-patna.bih@nic.in

प्रेषक, संचिका सं० -----, पत्रांक ...../सा०सु०, दिनांक .....

सहायक निदेशक,  
जिला सामाजिक सुरक्षा कोषांग,  
पटना।

सेवा में,  
प्रभारी पदाधिकारी,  
जिला गोपनीय शाखा,  
पटना।

विषय:- दिनांक 14.10.2014 को जिलाधिकारी महोदय के अध्यक्षता में आहूत समीक्षात्मक बैठक की कार्यवाही का प्रेषण।

प्रसंग:- जिलाधिकारी महोदय के ज्ञापांक 2079/गो० दिनांक 10.11.2014 के संदर्भ में।

महाशय

उपर्युक्त प्रासंगिक विषयक के संदर्भ में आहूत (दिनांक 14.10.2014 को) समीक्षात्मक बैठक की कार्यवाही का अनुपालन प्रतिवेदन बिन्दुवार हार्ड कॉपी के साथ सॉफ्ट कॉपी (C.D) संलग्न कर आवश्यक कार्यार्थ भेजी जा रही है।

कृपया प्राप्ति स्वीकार की जाए।

अनु०- यथोपरि।

विश्वासभाजन

हा-

सहायक निदेशक  
जिला सामाजिक सुरक्षा कोषांग,  
पटना

प्रतिलिपि: ज्ञापांक 1834/सा०सु०, दिनांक 12/11/14  
आई० टी० प्रबंधक, राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

12/11/14  
सहायक निदेशक  
जिला सामाजिक सुरक्षा कोषांग,  
पटना

**जिला सामाजिक सुरक्षा कोषांग, पटना**  
**पटना समाहरणालय, पटना।**

क्र०	कार्य बिन्दु	अनुपालन/निदेश
1	2	3
1	मुख्यमंत्री सामर्थ्य योजना	<ol style="list-style-type: none"> <li>वर्ष 2014-15 में मुख्यमंत्री सामर्थ्य योजनान्तर्गत कुल मो० 18,09,997/- का आवंटन प्राप्त है।</li> <li>मुख्यमंत्री सामर्थ्य योजनान्तर्गत उप विकास आयुक्त की अध्यक्षता में स्क्रीनिंग समिति की बैठक कर ली गई है। निदेशालय स्तर से निविदा के द्वारा आपूर्तिकर्ता का चयन होने के बाद अग्रेतर कार्रवाई की जाएगी।</li> </ol>
2	असंगठित कार्यक्षेत्र कामगार एवं शिल्पकार सामाजिक सुरक्षा योजना	<ol style="list-style-type: none"> <li>निदेशानुसार इस योजना के डी०के०एम० प्रभारी उप विकास आयुक्त, पटना हैं, एवं श्रम अधीक्षक, पटना को निदेशित किया गया है कि संचिका सामाजिक सुरक्षा कोषांग, पटना के माध्यम से जिला पदाधिकारी महोदय को उपस्थापित किया जाए।</li> </ol>
3	प्रवासी मजदूर दुर्घटना बीमा योजना	<ol style="list-style-type: none"> <li>इस माह में प्रवासी मजदूर दुर्घटना योजना की स्वीकृति हेतु श्रम अधीक्षक/प्रखण्ड विकास पदाधिकारी से प्राप्त होने के बाद अग्रेतर कार्रवाई की जाएगी।</li> </ol>
4	ए०सी०/डी०सी० बिल का प्रेषण।	<ol style="list-style-type: none"> <li>वर्ष 2014-15 में सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना अन्तर्गत प्राप्त आवंटन का उपयोगिता प्रमाण-पत्र निदेशक, सामाजिक सुरक्षा, बिहार, पटना को भेज दिया गया है।</li> <li>वर्ष 2012-13 में लम्बित सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना अन्तर्गत प्राप्त आवंटन का उपयोगिता प्रमाण-पत्र BTC-42 A में उन्चास करोड़ का महालेखाकार, बिहार, पटना को भेजा गया है। जिसमें से 33,24,11,460/- का महालेखाकार द्वारा समायोजन कर लिया गया है, शेष राशि का समायोजन की कार्रवाई महालेखाकार, बिहार, पटना द्वारा किया जा रहा है।</li> </ol>
5	पेंशनधारियों का डाटा बेस उपलब्ध कराना।	<ol style="list-style-type: none"> <li>सभी प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, पटना जिला से प्राप्त हिन्दी में पटना जिला के बेवसाईट पर अपलोड कर दिया गया है।</li> <li>निदेशालय के निदेशानुसार पेंशनधारियों का लिगेसी डाटा की माँग पुनः सभी प्रखण्ड विकास पदाधिकारी से अंग्रेजी में MS. EXCEL Format में की गई है।</li> </ol>